



2026:AHC:7892

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 202 वर्ष 2026

हरीश चंद्र जोशी

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

..... प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता:

राकेश कुमार मिश्रा

प्रतिवादी के अधिवक्ता:

मुख्य शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री राकेश कुमार मिश्रा और राज्य की ओर से अपर मुख्य शासकीय अधिवक्ता सुश्री अर्चना त्यागी को सुना।
2. रिट याचिकाकर्ता का यह मामला है कि उन्हें प्लाटून कमांडर के पद पर नियुक्त किया गया था और वह 28.02.2025 को अधिवर्षिता को प्राप्त हुए, सेवानिवृत्ति के बाद अब दो आदेश पारित किए गए हैं, पहला, कमांडेंट, 8वीं बटालियन, पीएसी, बरेली का 19.07.2025 और दूसरा आदेश दिनांक 11.09.2025 रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि इसका

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पुनः निर्धारण किया जाए कि रिट याचिकाकर्ता को नोटिस गया है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि

पुनः निर्धारण 06.05.2025 को किया गया था जो पूरी तरह से वैध था।

3. विद्वान अतिरिक्त मुख्य शासकीय अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि रिट याचिकाकर्ता ने स्वयं भुगतान की गई अतिरिक्त राशि की वसूली के लिए एक वचन पत्र दिया था, हालांकि, वह प्रस्तुत करती है कि रिट याचिकाकर्ता तीसरे प्रतिवादी, कमांडेंट, 8 वीं बटालियन, पीएसी, बरेली के समक्ष अपने कारण का प्रतिनिधित्व कर सकता है।

4. न्यायालय में की गई प्रस्तुतियों पर विचार करते हुए, रिट याचिका का निस्तारण रिट याचिकाकर्ता को 22.01.2026 तक तीसरे प्रतिवादी, कमांडेंट, 8वीं बटालियन, पीएसी, बरेली के समक्ष रिट याचिका की स्व-प्रमाणित प्रति और आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ एक व्यापक प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। इसके बाद, तीसरा प्रतिवादी 31.03.2026 तक रिट याचिकाकर्ता के दावे का निर्णय करेगा। प्रतिवादी गणों का दिनांक 19.07.2025 और 11.09.2025 का आदेश और परिणामी प्रलाभ पारित किए जाने वाले अंतिम आदेशों का पालन करेगी।

5. उक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

6. आज दाखिल किए गए निर्देशों को अभिलेख पर लिया जाता है और परिशिष्ट "A" के रूप में चिह्नित किया जाता है।

(माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

आदेश दिनांक: जनवरी 13, 2026

राजेश

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।